प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

दावा प्रक्रिया

यह योजना संबंधित राज्य / केंद्रशासित राज्य की फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में किए गए निर्णय के अनुसार चयनित फसल आधार पर परिभाषित क्षेत्रों में "क्षेत्र दृष्टिकोण" के सिद्धांत पर संचालित होती है जिसे बीमा इकाई (आईयू),कहा जाता है। इन इकाइयों को ग्राम / ग्राम पंचायत या प्रमुख फसलों के लिए किसी अन्य समकक्ष इकाई पर लागू बीमा इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अन्य सभी फसलों के लिए यह ग्राम / ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर की इकाई हो सकती है।

मुख्य दावों का भुगतान क्षेत्र के दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित के अधीन किया जाएगा:

- राज्य को अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र के स्तर पर फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) की अपेक्षित संख्या का संचालन करना होगा;
- संबंधित अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र में देय दावों की गणना के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर सीसीई आधारित उपज डेटा बीमा कंपनी में जमा किया जाएगा।

फसल के निम्नलिखित चरणों और फसल हानि के जोखिमों को भी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

A. **निष्कल बुवाई / रोपण जोखिम :** किसी अधिसूचित क्षेत्र की अधिकांश बीमित फसलें, प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे कम बारिश या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई/ रोपण से निष्फल होती हैं, तो बीमित फ़सलें बीमित राशि के अधिकतम 25% क्षतिपूर्ति दावों की पात्र होंगी और उसके बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

I. प्रारंभिक चरण में अधिसूचित इकाई में 75% से अधिक क्षेत्र में बोई गई फसलों को प्रभावित करने वाले पात्र जोखिमों की व्यापक घटनायें, जिससे फसल की सम्पूर्ण क्षति होती है या किसान फसल बोने या प्रत्यारोपण की स्थिति में नही होता है (या) कम या अतिरिक्त बारिश के कारण फसल की बुवाई या अंकुरण नही हो पाता है; के मामलों में कवरेज लागू होता है।

II. **पात्रता मापदंड:**
केवल वे किसान जिन्होंने क्षति से पहले प्रीमियम का भुगतान किया है / क्षति से पूर्व प्रीमियम उनके खाते से डेबिट किया गया है। राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर मौसम की शुरुआत में बोई गई अधिसूचित बीमा इकाई एवं फसलवार सामान्य बुवाई क्षेत्रफल प्रदान करेगी।

"बाधित बुवाई / रोपण" का भुगतान केवल तभी होगा जब अधिसूचित फसल के लिए 75% से अधिक बुवाई क्षेत्र उपरोक्त किसी भी जोखिम की घटना के कारण बुवाई रहित हो गया हो।

III. **हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:**

- कवर केवल प्रमुख फसलों के लिए उपलब्ध होगा।
- भुगतान कुल बीमित राशि का 25% होगा और उसके बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

• इस प्रावधान को राज्य सरकार द्वारा नामांकन की अंतिम तारीख के 15 दिनों के भीतर अधिसूचित करने की आवश्यकता होगी, इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रावधान किया जाता है; तो दावा देय नहीं होगा।

नोट: बीमा कंपनी राज्य सरकार के अधिसूचना/ आदेश के 30 दिनों के भीतर दावे को वितरित कर देगी, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम अनुदान की अंतिम सरकारी हिस्सेदारी की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना भुगतान किया जायेगा।

B. **खड़ी फसल (बुवाई से फसल कटाई):** न रोकने योग्य जोखिमों, अर्थात अकाल, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीट और रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक अग्नि और आकाशीय बिजली गिरना, आंधी, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान, तेज़ हवा, झंझावत और बवंडर के कारण उपज हानि को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।

I. बाढ़, लंबे समय तक सूखे की स्थिति, गंभीर सूखा इत्यादि मध्यावधि प्रतिकूलता के कारण खड़ी फसलों के लिए ऑन-अकाउंट दावों का भुगतान लागू होता है,जहाँ अपेक्षित उपज सामान्य उपज से 50% से कम होगी।

II. उन किसानों के लिए पात्रता मानदंड जिन्होंने प्रीमियम का भुगतान किया है या जिनके प्रीमियम को नुकसान से पहले उनके खाते से डेबिट किया गया है।

नोट: यदि प्रतिकूलता सामान्य फसल कटाई समय से 15 दिन पहले होती है, तो यह प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रॉक्सी संकेतक के आधार पर क्षति अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाता है।

III. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

हानि का संयुक्त आकलन इसीलिये सरकार के साथ किया जाता और यदि लागू होता है तो ऑन-अकाउंट भुगतान की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी:

$$\frac{\text{(थ्रेशोल्ड उपज - अनुमानित उपज)}}{\text{थ्रेशोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि} \times 25\%$$

नोट: अधिकतम देय राशि संभावित दावों का 25% होगी, अंतिम दावों के प्रति समायोजन के अधीन।

IV. नुकसान का आकलन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा

क्षति के बाद 7 दिनों के भीतर सरकार द्वारा हानि विवरण की पात्रता प्रदान की जाएगी। क्षति का आकलन क्षति के बाद 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार,बीमा कंपनी ऑन-अकाउंट भुगतान द्वारा प्रीमियम अनुदान की अंतिम सरकारी हिस्सेदारी (दूसरी किस्त) की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना किया जाएगा।

C. **फसलकटाई पश्चात नुकसान:** कवरेज केवल उन फसलों के लिए कटाई से दो सप्ताह की अधिकतम अवधि तक उपलब्ध है, जिन्हें चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट जोखिमों के खिलाफ कटाई के बाद खेत में कटने और सूखने की स्थिति में सूखने दिया जाता है।

I. पूरे देश में चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के कारण परिणामस्वरूप खेत में काटी गई फसल "कटी और फली हुई स्थिति" के बाद फसल को नुकसान होता है, फसल कटाई की तारीख से लेकर सुखाने की अधिकतम अवधि दो सप्ताह (14 दिन) होती है।

II. **पात्रता मानदंड**: केवल वे किसान जिन्होंने नुकसान से पहले प्रीमियम का भुगतान किया है / प्रीमियम उनके खाते से डेबिट किया गया है। निर्दिष्ट जोखिमों से क्षतिग्रस्त, कटाई के 14 दिन बाद तक।

III. **हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:**
किसान द्वारा क्षति के 72 घंटे में हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700, हमारे स्थानीय कार्यालय, संबंधित बैंक, जिले के स्थानीय कृषि विभाग या सम्बंधित अधिकारियों को सूचना प्रदान करना आवश्यक है और जानकारी में खसरा संख्या-वार बीमित फसल और प्रभावित रकबे का विवरण होना चाहिए।

किसान को बाद में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ भरा हुआ दावा फॉर्म दावों के भुगतान के लिए अपेक्षित रूप में प्रदान करना चाहिए।

नुकसान आकलनकर्ता नियुक्त किया जाएगा और मूल्यांकन निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, जिससे नुकसान आकलन रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने के बाद दावों का निपटारा किया जाएगा, जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम की प्राप्ति के अधीन है।

D. **स्थानीय आपदाएँ:** अधिसूचित क्षेत्र में अलग थलग खेतों में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और आकाशीय बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों की घटना से होने वाली हानि/ क्षति।

I. यदि अधिसूचित क्षेत्रों में अलग थलग खेतों में भूस्खलन, ओलावृष्टि, बाढ़, बादल फटने और और आकाशीय बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग जैसी किसी भी स्थानीय विपत्तिओं/ आपदाओं के कारण फसल का नुकसान होता है, तो किसान स्थानीय आपदा के लिए दावा करने के लिए पात्र है।

II. पात्रता मापदंड:
केवल वे किसान जिन्होंने क्षति से पहले प्रीमियम का भुगतान किया है/ प्रीमियम उनके खाते से डेबिट किया गया है।

नोट: बीमित राशि के अधीन, अधिकतम भुगतान इनपुट की लागत के अनुपात में होगा, जो बीमाकृत जोखिम की घटना तक व्यय हुआ है।

यदि क्षेत्र के दृष्टिकोण के तहत भुगतान (सीसीई के आंकड़ों के आधार पर) स्थानीय नुकसान से अधिक है, तो दोनों में से उच्च दावे बीमित किसानों को देय होंगे, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रीमियम की प्राप्ति के अधीन हैं।

III. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

किसान द्वारा क्षति के 72 घंटे में हमारे कॉल सेंटर नंबर 1800 266 0700, हमारे स्थानीय कार्यालय, संबंधित बैंक, जिले के स्थानीय कृषि विभाग या सम्बंधित अधिकारियों को सूचना प्रदान करना आवश्यक है और जानकारी में खसरा संख्या-वार बीमित फसल और प्रभावित रकबे का विवरण होना चाहिए।
किसान को बाद में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ भरा हुआ दावा फॉर्म दावों के भुगतान के लिए अपेक्षित रूप में प्रदान करना चाहिए।

नुकसान आकलनकर्ता नियुक्त किया जाएगा और मूल्यांकन निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, जिससे नुकसान आकलन रिपोर्ट के अंतिम रूप दिए जाने के बाद दावों का निपटारा किया जाएगा।

नोट: युद्ध और परमाणु जोखिमों से होने वाले नुकसान, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोके जाने योग्य जोखिमों को बाहर रखा जाएगा।

क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें– https: //www.hdfcergo.com/documents/downloads/Claim%20Form%20-% 20English.pdf https://wwwf1.hdfcergo.com/documents/downloads/Claim%20Form%20-%20English.pdf

महत्वपूर्ण नोट:

उपर्युक्त घटनाओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के लिए, किसान को हमारी कंपनी से संपर्क करना चाहिए और घटना के 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना खसरा संख्या-वार बीमित फसल एवं प्रभावित क्षेत्र के साथ-साथ बैंक/ मध्यस्थ/ सीएससी केंद्र को दिए गए प्रीमियम भुगतान सत्यापन विवरण के साथ देनी चाहिए । स्थानीय समाचार पत्र की कटिंग एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्य जो हानि की घटना और हानि की गंभीरता को साबित करने के लिए यदि लागू होने के रूप में हो, को भी प्रदान किया जाना चाहिए।

1. किसान 1860 2660700 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और नुकसान होते ही शीघ्रताशीघ्र अपडेट कर सकते हैं।

2. किसान जिला कृषि कार्यालय तक भी पहुंच सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि को जिला कृषि अधिकारी (डीएओ) कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा।

3. किसान अपने संबंधित बैंकों तक भी पहुंच सकते हैं।